न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 139/2024

बनाम :

1. बलवीर सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. बादो पत्नी रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. करूणा पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी खारिया हाल निवासी डिफेंस कालोनी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. भतेरी पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी सज्जन सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 21 महिपालों का मौहल्ला भादरा तहसील भादरा।
5. रामकला पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी चाहरवालों की ढाणी तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
6. सरजीत पुत्र सावित्री पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी खारिया डोबी जिला हिसार हरियाणा।
7. हरपाल पुत्र सावित्री पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी खारिया डोबी जिला हिसार हरियाणा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा **: वादीगण**

वकील श्री रोबिन **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 30.05.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 205 के खसरा संख्या 43/3 की 4.5010 है0 तथा खसरा संख्या 95/2 की 3.000 है0 कुल किता 2 की 7.5010 है0 बारानी वादीगण के मृतक पिता रामेश्वर सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के पिता रामेश्वर सिंह की मृत्यु दिनांक 02.09.2008 को हो चुकी है। रामेश्वर सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व वाद भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में दिनांक 05.04.2007 को निष्पादित करवा दी थी। चुंकि वादीगण के पिता की मृत्यु वसीयती हुई है इसलिये हिन्दु उतराधिकार के प्रावधान वादभूमि पर लागू नहीं होते एवं मुताबिक वसीयत दिनांक 05.04.2007 के वादीगण कुल वादी भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 जरिये वकील हाजिर आये । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 तथा 7 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:31 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में बलवीर सिंह [illegible] उतरादाबास तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी [illegible] खाता संख्या 205/205 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] पुत्र रामजीलाल प्रदर्श 2 ए, चित्रप्रति दस्तबरदारी प्रदर्श 3 ए, चित्रप्रति शपथ पत्र वारिसान प्रदर्श 4 ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उतरादाबास प्रदर्श 5 ए, चित्रप्रति वसीयतनामा खु[illegible] प्रदर्श 6 ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 7 ए प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण के पिता रामेश्वर सिंह की मृत्यु दिनांक 02.09.2008 को हो चुकी है। रामेश्वर सिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व वाद भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में दिनांक 05.04.2007

Scanned with CamScanner

को निष्पादित करवा दी थी।एवं मुताबिक वसीयत दिनांक 05.04.2007 के वादीगण कुल वादी भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि की वसीयत साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम उतरादावास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में मुताबिक वसीयत अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व आधार कार्ड प्रदर्श 1 से 7 ए प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा उतरादावास के खाता सं0 205 के खसरा संख्या 43/3 की 4.5010 है0 तथा खसरा संख्या 95/2 की 3.000 है0 कुल किता 2 की 7.5010 है0 बारानी वादीगण के पिता रामेश्वर सिंह के नाम दर्ज वादभूमि में रामेश्वर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार खातेदार घोषित किया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। एक तरफ वादीगण वादभूमि अपने आप को मुताबिक वसीयत दिनांक 05.04.2007 से बहिस्सा बराबर मिलना का कथन कर रहे है दूसरी तरफ वादीगण ने वादभूमि बाबत निस्पादित दस्तबरदारी दिनांक 22.12.2010 से अपने आप को मिलने का कथन कर रहे है। दस्तबरदारी प्रदर्श 3 के अनुसार उक्त भूमि को रामेश्वर सिंह के सभी वारीसान को विरासतन में प्राप्त होने का कथन कर रहे है तथा स्वयं वादीगण ने भी उक्त दस्तवरदारी के अनुसार रामेश्वर सिंह के सभी वारीसान को मिलने के तथ्यो का स्वीकार किया है तथा दस्तवरदारी में वादीगण व रामेश्वर सिंह के किसी भी वारिस ने वादभूमि मुताबिक वसीयत वादीगण को प्राप्त होने के तथ्यो का कोई अंकन नही किया गया है। यदि वास्तव में वादभूमि वादीगण को मुताबिक वसीयत दिनांक 05.04.2007 से प्राप्त होती तो उक्त भूमि की बाबत दिनांक 22.12..2010 को दस्तवरदारी नही करवाई जाती। इस प्रकार स्वयं वादीगण के द्वारा पेश दस्तावेज वसीयत प्रदर्श 6 व दस्तवरदारी प्रदर्श 3 आपस में विरोधाभासी दस्तावेज है। वादीगण ने वादभूमि रामेश्वर सिंह की स्वयं अर्जित खातेदारी हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किया है। खातेदार रामेश्वर सिह का देहान्त दिनांक 02.09.2008 को हो गया जिसके वावजूद भी आज तक वादीगण द्वारा वसीयत की पालना में तहसीलदार भादरा के समक्ष कोई आवेदन पेश नही किया गया है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा को साबित करने में सफल नही रहे है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारीज किया जाने योग्य होने के कारण खारीज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 139/2024

अनवान :

1. बलवीर सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. बादो पत्नी रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. करूणा पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी खारिया हाल निवासी डिफेंस कालोनी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. भतेरी पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी सज्जन सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 21 महिपालों का मौहल्ला भादरा तहसील भादरा।
5. रामकला पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी चाहरवालों की ढाणी तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
6. सरजीत पुत्र सावित्री पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी खारिया डोबी जिला हिसार हरियाणा।
7. हरपाल पुत्र सावित्री पुत्री रामेश्वर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास हाल निवासी खारिया डोबी जिला हिसार हरियाणा।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोंबिन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner